

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1718 / 11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, लखनऊ, दिनांक: जनवरी 09, 2024

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस०एच०-79) के किमी० नं०-11 (चैनेज सं०-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/135/2023/एफ०सी०/201, दिनांक 26.06.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर का पत्रांक-1614/2-6, दिनांक 08.01.2024 एवं पत्रांक-447/2-6, दिनांक 22.08.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के उपरोक्त पत्रांक-1614/2-6, दिनांक 08.01.2024 एवं पत्रांक-447/2-6, दिनांक 22.08.2023 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उपरोक्त पत्रों की छायाप्रति सहित वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाइन अपलोड कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1718 / 11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
3. टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय, बैतालपुर डिपों, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक 1614 / 2-6 दिनांक, गोरखपुर, जनवरी 08/2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय-

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, देवरिया-कसया मार्ग एस०एच०-79 के कि०मी० 11 (चैनेज सं०-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला देवरिया, देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 0.5 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।
आपके कार्यालय का पत्रांक 604/11सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/153338/2022, दिनांक 04.09.2023।

संदर्भ-

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में प्रभागीय निदेशक सा०वा० वन प्रभाग देवरिया ने अपने पत्रांक 1166/2-6 दिनांक 03.11.2023 द्वारा विन्दू सं०-1 का निस्तारण कर संसोधित आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जिसे आनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी आपकी सेवा सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

संख्या-

अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

Ambar

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक- 1166✓ / 2-6 देवरिया, दिनांक, नवम्बर 03 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय:-

जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 सं0-11 (चैनेज सं0-100) के मध्य दांयी पट्टी पर गाटा संख्या-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-604/ 11-सी/ एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 04.09.2023 एवं आपके कार्यालय के पत्र संख्या-758/2-6 दिनांक 20.09.2023 ।


महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	आपत्ति	आपत्ति का आख्या
1	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच-2 केस की सत्यापित प्रति, एच-2 केस के प्रशमित प्रमाण-पत्र, दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना एवं उल्लंघन के फलस्वरूप की गयी कार्यवाही को ऑनलाईन पार्ट-11 में अपलोड नहीं किया गया है। अतः अपलोड कर प्रेषित करें।	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किये गये उल्लंघन के फलस्वरूप एच-2 केस की सत्यापित प्रति संलग्न है तथा एच-2 केस के प्रशमित प्रमाण-पत्र एवं दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना संलग्न कर ऑनलाईन पार्ट-11 में अपलोड कर दिया गया है। (छाया प्रति संलग्न है)।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक

उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


निदेश



मुख्य संरक्षक
09.11.2023

2402
09-11-2023

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

DCN 39/20

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

वन अपराध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33

रिपोर्ट नं० दिनांक रज्ज केस नम्बर देवरिया वीट रामपुरकारखाना

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता
सुरिंदर सिंह w/o अक्छेश सिंह
ग्राम - कठौवाड़ी पोस्ट पचरदेवा थाना - कठौवाड़ी
जिला - देवरिया (उ०प्र०)
2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता
① सुभाष चंद्र शर्मा वन हुरगा
② विकास कुमार सिंह वररं
3. कथित अपराध का पूरा विवरण देवरिया - कसबा मार्ग Km 11-12 के मध्य राई
घर पर ग्राम - सिरसिया थाना - रामपुरकारखाना जिला - देवरिया में
एक फेड़ अर्जुन रज्ज का लंबा 20-30 तथा 35x22x86 = 800.1 वर्ग मी
संरक्षित भूमि का बिना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग किया
जाना।
4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

12/06/2022
P. J.
5/06/22

5. कुल हानि का मूल्यांकन राजकीय सम्पत्ति

काया पीत न गणित

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

उपर प्रमाणित वनाधिकारी
सामाजिक वानिकी विभाग

महोदय,

आज दि० 13-6-2022 को प्राप्त
विकायत के अनुसार समग्र लगभग 02 बजे देवरिया - कसबा मार्ग Km
11-12 के मध्य राई घर पर ग्राम - सिरसिया थाना - रामपुरकारखाना जिला - देवरिया
स्थित वेदान्ता क्यूल रोडान पर पहुंचा गया। जहाँ पर एक फेड़ अर्जुन का
टुकड़ा पाया गया जिसका समस्त प्रमाणों से जांच था। एवं 35x22x86
= 800.1 वर्ग मी० संरक्षित भूमि का बिना अनुमति का गैर वानिकी प्रयोग
किया जाना था। कुछ तद् पर पता चला कि वेदान्ता क्यूल के
मालिक सुरिंदर सिंह w/o अक्छेश सिंह के द्वारा एक फेड़ को काटवाया गया है
एवं इस प्रकार कालम न० 1 में वर्णित अभियुक्त द्वारा वन अपराध
की धारा 33 व.न.सं० 37/1980 का उल्लंघन किया गया है। जिनकी जांचवाली धारा
अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

दिनांक 13-6-2022 20


केस काटने वाले का हस्ताक्षर
पद

व्याज

मैं कि सारिका सिंह का अविवाहित बेटा जिसे कंधी चरना या पधार देना थाना-वही-घारः... देवरीया की लवली हूँ। मैं ॥... बंध सरिता सिंह हो गया है। मेरा पंजीकरण देवरीया-कसा मजि कम् ॥... अब दाया पर... में पंजीकरण के अगे रास में एक को कुमि या सजरीय बुर्का का... विभाग का... लगाया गया था। जो गांधी-आके-आके-ह-बाधा उपज आ रहा था। जो किसी गांधी के बोझ से फिर-फिर कर ही-गपक हो गया। और 35x22-06 = 2000... का... जो... पर... का... का... में अपनी अपराध स्वीकार करती हूँ। और सिंगीत कस्तुरी वाली हूँ। मैंने अपराध जिना किया जो दण्ड के से... है।

व्याज... का... का...

(2005-06) 9/5

सत्यापित 

व्याज... का... का... सारिका सिंह

सारिका सिंह... अविवाहित बेटा कंधी चरना, पधार देना देवरीया।

एच-2 केस प्रशमित प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग एस0एच0-79 के कि0मी0 11 (चैनेज ज सं0-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित क्षेत्र 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग बिना स्वीकृति के किया गया है जिस पर विभागीय एच-2 केस संख्या-09/2022-23 इजरा किया गया है जिसका प्रतिकर की धनराशि ई-3 सं0-12943/55 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि ई-3 सं0-12943/55 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि रू0 50,000.00 तथा एक अर्जुन का वृक्ष का पातन का प्रतिकर ई-3 सं0-1294656 दिनांक 02.08.2023 द्वारा रू0 12900.00 जमा कराकर केश प्रशमित किया गया है प्रशमित एच-2 केस की छाया प्रति संलग्न है।

R. Jyoti

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

दण्डात्मक एनपीवी की गणना

उल्लंघन की तिथि 12.03.2021

उल्लंघन का एरिया/क्षेत्र-0.075028 हे०

ईको क्लास/हरियाली घनत्व-ECO Class-III घनत्व 0.4

N.P.V. की दर - 1228590.00 रू० रिट

दण्डात्मक N.P.V. - 0.075028×1228590

= 92178.65

या-92179.00

ब्याज = $\frac{92179 \times 12 \times 3}{100} = 33184.44 = 33184.00$

100

या- 33184.00

दण्डात्मक एनपीवी + ब्याज = $92179 + 33184.00$

= 125363.00

देय दण्डात्मक एनपीवी = $\frac{125363.00 \times 25}{100} = 25072.60$

100

या- 25073.00

R. J. Arora
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

प्रमाणित किया जाता है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दिए
- कस्तुरी मार्ग पर (SH-79) की.मी. नं० 11 (चैत्र नं०-100) के मध्य रात
पथरी पर गाँव नं०-418 ग्राम-सिरसिया तहसील + जि. डेवरिया में
वैशाली पब्लिस स्टेशन का संचालन 12/3/2021 से हुआ है।
द्वारा इस पेट्रोल पम्प को प्रथम लेड (स्पाक) प्राप्त हुआ है सुलभ रू.
दु. दौना प्रति संलग्न है, पेट्रोल पम्प का संचालन 12/3/2021 से
हुआ है.

संलग्न - उपरोक्त प्रमाण.

अवधीप
Sonia Singh

सौरिका सिंह

W/O श्री अवधेश सिंह

ग्राम - कठ्ठी पथरी

पो. - पचरसेवा

जि. - डेवरिया.

गौरी

प्रशासकीय विभाग

संसाधन वानिकी प्रभाग श्रीरंग

विषय:-> लखनऊ-श्रीरंग में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा श्रीरंग-कनका में (SH-79) के KM नं०-11 (फ्लैज नं०-100) के मध्य गभी गहरी पर गह्रा सब-4 श्रेणी विरक्षित तटस्थीक व जिला-श्रीरंग में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल के शुरुआत कार्य तक आवश्यकता से प्रस्तावित 0.075028 हेक्टर संरक्षित वन क्षेत्र के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 बीघों के पालन की अनुमति के संबंध में

संदर्भ:-> मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, परमिटिंग, वन एवं जलवायु परिकल्पना विभाग, लखनऊ पत्रांक 604/11-जी-EP/UP/Approach/153338/2022 लखनऊ दिनांक 04/12/2021

प्रति,
उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अंकित कृपया श्री डि प्रोसेसिंग एजेंसी द्वारा H2 फेज का निस्तारण कराकर आप की कार्रवाई में आगे बढ़ा दिया गया है तथा पेट्रोल पम्प की संचालन तिथि 12/3/2021 है प्रस्ताव गयी है जिला प्रशासन-पत्र भी आगे बढ़ा दिया गया है

श्रीरंग
श्री/श्रीमती एन.ए.सी
Secretary
श्रीरंग विभाग
W/O अविद्या कुमारी

Year: 2017
 Month: Jan 2017

Project: 015

Project: 015

Line	Part	Description	Qty	Unit Price	Amount	Material Code	Material Description	Material Code	Material Description	Material Code	Material Description	Material Code	Material Description	Material Code	Material Description	Material Code	Material Description	Material Code	Material Description
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			
26																			
27																			
28																			
29																			
30																			
31																			
32																			
33																			
34																			
35																			
36																			
37																			
38																			
39																			
40																			
41																			
42																			
43																			
44																			
45																			
46																			
47																			
48																			
49																			
50																			

11/1

11/15

11/1

11/15


11/1

11/15

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED

INVOICE FOR SHIPPING
INVOICE

भारत (9)



INVOICE No.: 1119377167
DATE/TIME: 11.12.2020/11:32:10

SHIP TO PARTY 322801 SOLD TO PARTY 222601 1113

SHIP TO PARTY ADDRESS: 322801
SOLD TO PARTY ADDRESS: 222601
SHIP TO PARTY NAME: 322801
SOLD TO PARTY NAME: 222601

Book no. 0165947X3

Product Description / Product Code	Quantity (MT)	Rate per MT	Total Value (MT)	Taxes / Other Charges (MT)	Amount (MT)
...	1.00	11,111.11	11,111.11	...	11,111.11
...

भारत की तरफ से 15 49

...

...

...	152,178.44
...
...

...

Received the goods mentioned above herein in good condition

Document is digitally signed

Signature

Signature of Bharat Petroleum Corporation Limited

1

H-2 केश प्रशिक्षण प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद-देवरिया में भारत प्रैक्टिस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग DM-29 के डिप्टी जॉईंट इंजीनियर के अधीन कार्य पर जाता है - 410, ग्राम-सिराहा, तहसील-देवरिया में अस्थापित पेट्रोल पम्प स्थल से सुरक्षित रूप से आवश्यक प्रमाणित श्रम 0.075028 हेक्टर क्षेत्र को और बाकी प्रयोग के लिए 05 हेक्टर क्षेत्र स्वीकृति के किया गया है जिसका विवरण H-2 केश सं. 09/2022-20 दिनांक 08/08/2022 द्वारा किया गया है जिसका प्रतिफल की प्रतिलिपि ई-3 सं. 12943/55 दिनांक 1.8.2023 द्वारा प्रविष्ट की जानकारी है 50,000/- का कर केश प्रशिक्षण किया गया है प्रशिक्षण H-2 के क्षेत्रों द्वारा प्रति सेक्टर

प्रमाणित
१

2

पेट्रोल पम्प स्नोपीथी की गणना

उलपेन की तिथि 12-03-2021 ✓
12-06-2022

उलपेन का स्तर/फ्लो - 0.075028 हेक्टर
इन्फ्लेक्शन/होरिजन्टल दायरा - EC-0 class-III दायरा 0.4

N.P.V की दर - 1228590/- प्रति हेक्टर
पेट्रोल पम्प N.P.V - 0.075028 X 1228590
= 92178.65

मा - 92179/-
माज = $\frac{92179 \times 12 \times 3}{100} = \frac{33184.44}{100} = 331.84$
मा - 22123/-

पेट्रोल पम्प N.P.V + माज = 92179 + 331.84
= 114302/- or 25363/-

दस पेट्रोल पम्प N.P.V = $\frac{114302 \times 10}{100} = 114302$
= 22860.04 or 25072.60
मा - 29060/-

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 1011 / 2-6 देवरिया, दिनांक, अक्टूबर/8 / 2023
सेवा में,

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवरिया ।

विषय :- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच-79) के कि0मी0 सं0-11 (चैनेज सं0-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं0-418 ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक 604/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 04.09.2023 ।

स्मार,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयगत प्रकरण में एच-2 केस जारी किया गया था जिसका प्रतिकर भी जमा किया गया है परन्तु एच-2 केस जो प्रशमित हुआ है उसकी प्रति अभी तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण सन्दर्भित पत्र में लगायी गयी आपत्ति का आख्या उच्च स्तर को नहीं भेजा जा सका है। जिसके कारण प्रभाग स्तर पर पोर्टल पर लम्बित है।

अतः सन्दर्भित पत्र की छाया प्रति के साथ इस आशय से प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण में प्रशमित एच-2 केस की छाया प्रति तत्काल उपलब्ध करावें, ताकि ऑन लाईन आख्या उच्च स्तर को भेजा जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

✓

(विकास यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक 1011 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रभारी आशुलिपिक, कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

✓

(विकास यादव)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

04/09/2023

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक:- 604 / 11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर ०५ 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर

विषय:- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एच०एच०-79) के किमी० नं०-11 (चिंनेज सं०-100) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा सं०-418, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075028 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 पौधों के पतन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/06/135/2023/एफ०सी०/201, दिनांक 28.06.2023 एवं आपका पत्रांक-447/2-6, दिनांक 22.08.2023

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा की गयी आपत्तियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 22.08.2023 के द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जिसमें परीक्षणोपरान्त ऑनलाइन में निम्नलिखित कमियाँ/अभिलेखों का अभाव पाया गया है:-

1. भारत सरकार की आपत्ति सं०-1 के निराकरण के क्रम में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किये गये उत्तंरधन के फलस्वरूप एच०-2 केस की सत्यापित प्रति, एच०-2 केस प्रशमित प्रमाण पत्र, दण्डात्मक एन०पी०वी० की गणना एवं उत्तंरधन के फलस्वरूप की गयी कार्यवाही को ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड नहीं किया गया है। अतः अपलोड कर प्रेषित करें।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग देवरिया
रॉज० सं० 1537.....
फाइल सं० 22-9-2023
दिनांक.. 23-9-2023

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

भारत लि०
आ.वा.का.
R. B
गोरखपुर
22-9-2023

पत्रांक:- 604 / 11-सी-FP/UP/Approach/153338/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, देवरिया।
2. टेरीटरी मैनेजर, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, गोरखपुर प्रादेशिक कार्यालय, बैतालपुर डिपो, देवरिया।

(अनुपम गुप्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक- 758/2-6 दि०- 20-09-2023

प्रतिलिपि:- प्रभागीय निदेशक सा०वा० प्रभाग देवरिया को इस आशय से सेवा कि उक्त केस को निराकरण कर आरम्भ प्रस्तुत करें ताकि उच्च स्तर को आरम्भ करने का प्रयत्न हो सके।

(अनुपम गुप्ता)
23-9-2023

न विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

बुक नं० 12943 उप प्रभागीय वनाधिकारी नं० 55

प्रमाण देखाया सा० बा० प्रमाण, देवारवा दिनांक 01-08-2023

श्री श्री स्वामिनी सिंघु पत्नी स्वामीनी सिंघु सिंघु पत्नी सिंघु देवारवा

रु० 50,000/- (गुण प्रमाण हस्त प्रमाण) प्राप्त किया।

दिनांक 01-08-2023 प्रमाण प्रमाण श्री देवारवा

दिनांक 01-08-2023

प्राप्तकर्ता इस्ताक्षर

पद नाम

हस्ताक्षर प्रमाणित
श्री देवारवा
देवारवा देवारवा

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर
पत्रांक ५५७ / २-६ दिनांक, गोरखपुर, अगस्त २२/२०२३

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय-

भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, देवरिया-कसया मार्ग एस०एच०-७९ के कि०मी० ११ (चैनेज सं०-१००) के मध्य दांयी पटरी पर गाटा संख्या-४१८, ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला देवरिया, देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित ०.०७५०२८ हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक ०.५ वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ-

भरत साकार के पत्र संख्या ८ बी/यूपी/०६/१३५/२०२३/एफसी/२०१ दिनांक २६.०६.२०२३ एवं आपके कार्यालय के पृठांकन पत्र संख्या ४०७३/११सी-एफ०पी०/यू०पी०/एप्रोच/१५३३३८/२०२२, दिनांक २८.०६.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में प्रभागीय निदेशक सा०वा० वन प्रभाग देवरिया ने अपने पत्रांक ४२१/२-६ दिनांक ०८.०८.०२०२३ द्वारा विन्दूवार आख्या उपलब्ध करायी गयी है। जिसे आनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कापी आपकी सेवा सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।

संख्या- अ/ दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, देवरिया को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नक सहित पत्रावली प्राप्त कर अपने विशेष पत्र वाहक से मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(भीम सेन)

मुख्य वन संरक्षक,
गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 421 / 2-6 दिनांक, देवरिया, अगस्त 08 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :- जनपद-देवरिया में भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा देवरिया-कसया मार्ग (एस0एच0-79) के कि0मी0 11 (चैनेज सं0-11.100 के मध्य) दांयी पटरी पर गाटा संख्या-418/ग्राम-सिरसिया, तहसील व जिला-देवरिया में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 05 वृक्षों के पातन हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/135/2023/एफ0सी0/201 दिनांक 26.06.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-4073/11-सी-एफ0पी0/यू0पी0/एप्रोच/153338/2022 दिनांक 28.06.2023।

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उठाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तरालेख
1	दिनांक 22.03.2023 को गूगल अर्थ ईमेजरी के अनुसार डायवर्जन के लिये प्रस्तावित क्षेत्रफल निर्माण कार्य की गतिविधियाँ दिखाई दे रहा है।	प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के एप्रोच मार्ग का निरीक्षण में पाया गया कि संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग बिना अनुमति का किया गया है। जिसके क्रम में वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के क्रम में रेंज केस संख्या-9/2022-23 जारी किया गया है तथा ई-3 रसीद सं0-12943/55 दिनांक 01.08.2023 द्वारा प्रतिकर की धनराशि मु0 50,000.00 वसूल कर जमा करायी गयी है।
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि सड़क पटरी के किनारे (रिंखिक) प्रस्तावित की गयी है। वन ब्लाक में क्षतिपूरक वृक्षारोपण भूमि प्रस्तावित करने की आवश्यकता है।	उक्त प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम समाज कुशहरी, तहसील व जिला-देवरिया में चयनित किया गया है जिसका डिजिटल मैप व टोपोशीट तथा प्राक्कलन संलग्न कर स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

अतः उपरोक्तानुसार बिन्दु संख्या-1 से 2 तक की आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि विषयगत प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान कराने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

R. J. Kesh
(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि:-मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ0प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया



वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, 20100

ई-3 बुक नं० 12943 उप प्रमाणीय वनाधिकारी नं० 55

सं. प्रमाण-देखिये

दिनांक 01-08-2023

श्री श्री सचिवालय सिंह, गली, आर्य समाज, गोरखपुर, देवरिया

राशि 50.000/- (पचास हजार रुपये मात्र) प्राप्त किया।

नाम 2023/50.000/2023-2 मुका प्रमाण की धारणा

दिनांक 01.8.2023

प्राप्तकर्ता प्रस्ताक्षर


पद नाम

हस्ताक्षर श्री प्रभाकर

(Signature)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवरिया रेंज

Referenced Map of Proposed Revenue Land for Compensatory Afforestation (CA) Plantation in Plot no. 1, Gata No. 737, in Gram Sabha: Khushahari, Village: Sirwaniya, Tehsil:- Deoria, District:- Deoria, Against Proposed Protected forest land to be diverted for Entry/Exit approach to BPCL Retail Outlet on Deoria-Kasia Road (SH-79) In Km No. 11, (CH. No. 100, RHS) At Gata No. -- 418, Village: -Sirsia, Tehsil: - Deoria, District: - Deoria (UP).



GPS COORDINATES		
Name	Longitude	Latitude
1	83° 52' 41.134" E	26° 31' 20.654" N
2	83° 52' 42.000" E	26° 31' 20.000" N
3	83° 52' 41.157" E	26° 31' 18.254" N
4	83° 52' 40.000" E	26° 31' 19.000" N

क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवरिया रेंज

Rajendra
(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
देवरिया

Legend

- + GPS Coordinates
- Proposed Revenue Land for CA Plantation

0 15 30 60 Meters
1:1,000



क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलन वर्ष 2022-23 से वर्ष-2032-33 तक

कार्य का नाम-क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्लाट नं0-1 गाटा सं0-737 ग्राम सभा-कुशहरी में क्षेत्रफल 0.16 हे0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण (150 पौधों का रोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण कार्य) का प्राक्कलन ।

जी0पी0एस0 लोकेशन N-26°31'20.654" E-83°52'41.134"

N-26° 31'20.000" E-83° 52'42.000"

रेंज का नाम:-देवरिया

150 पौध रोपण व अनुरक्षण

क्षेत्रफल 0.16 हे0

श्रमिक दर रू0 201.00 प्रति मानव दिवस

प्रथम चरण (अग्रिम मृदा कार्य)

क्र	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.16	प्र0हे0	54.51	8.7
2	स्थल की सफाई	0.16	प्र0हे0	436.2	69.792
3	मृदा कार्य हेतु संरक्षण कार्य	150	ग0/मा0	0.41	61.50
4	अग्रिम मृदा कार्य	0			0
5	(क) गड्ढा खुदान कार्य (60x60x60)	150	ग0	19.71	2956.50
6	आर0सी0सी0 खम्भों का निर्माण	60	संख्या	404.00	24240.00
7	कटीला तार का मूल्य (5 लड़)	0.12	टन	84892.50	10187.10
8	अन्य व्यय प्रशासनिक व्यय	1	ल0सं0	L.S.	500.00
	योग	-		-	38023.61

द्वितीय चरण (वृक्षारोपण)

1	गड्ढा भरान कार्य	150	ग0	1.27	190.50
2	गड्ढा/माउण्ड में कीटनाशक दवा प्रयोग	150	ग0/ मा0	0.81	121.50
3	गड्ढों में मृदा सुधारक/गोबर खाद का प्रयोग	150	प्रति ग0	9.62	1443.00
4	पौध मूल्य (3 प्रतिशत अतिरिक्त)	155	प्र0पौध	70.00	10850.00
5	पौध का ढुलान 3 प्रतिशत अतिरिक्त (कि0मी0 10-20) मय लोडिंग अनलोडिंग सहित	155	प्र0 पौध	1.50	232.50
6	पौध के स्थानीय ढुलान	150	प्रति पौध	0.41	61.50
7	पौध रोपण मय थैला बनवाई व तुरन्त सिंचाई कार्य	150	प्रति पौध	5.10	765.00
8	पौध के निराई, गुड़ाई चार बार	600	प्रति पौध	1.35	810.00
9	सिंचाई 9 बार	1350	प्रति पौध	1.36	1836.00
10	रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग	150	प्रति पौध	0.37	55.50
11	वृक्षारोपण बोर्ड बनवाई	L.S.	L.S.	5250.00	5250.00
12	आर0सी0सी0 खम्भों की ग्राउटिंग	60	खम्भा	196.00	11760.00
13	खम्भों का स्थानीय ढुलान	60	खम्भा	3.28	196.80

14	तार की खिचाई कार्य	2000	मीटर	0.90	1800.00
15	वृक्षारोपण का सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
16	अन्य प्रशासनिक व्यय इत्यादि	L.S.	L.S.	L.S.	500.00
योग :-					36937.30

तृतीय चरण (प्रथम अनुसूक्षण)

1	सिंचाई कार्य 12 बार	1800	प्रति पौध	1.36	2448.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	10 प्रतिशत सूखे पौधों के बदलने हेतु पौध कय मूल्य	15	प्रति पौध	7.00	105.00
4	वीटिंग अप हेतु गड़ढा खुदान(45X45X45X)से0मी0	15	प्रति गड़ढा	10.57	158.55
5	पौध का दुलान 3 प्रतिशत अतिरिक्त (कि0मी010-20) मय लोडिंग अनलोडिंग सहित	15	प्रति पौध	1.50	22.50
6	पौध का स्थानीय दुलान	15	प्रति पौध	0.41	6.15
7	पौध रोपण थैला बनवाई व तुरन्त सिंचाई कार्य	15	प्रति पौध	5.10	76.50
8	रसायनिक उर्वरक, कीटनाशक का प्रयोग	150	हे0	0.35	52.50
9	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5दिन	0	213.00	1065.00
10	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	500.00
योग					5041.70

चतुर्थ चरण (द्वितीय अनुसूक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-					3196.50

पंचम चरण (तृतीय अनुसूक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-					3196.50

छष्टम् चरण (चतुर्थ अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-		-	-	-	3196.50

सप्तम् चरण (पंचम् अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-		-	-	-	3196.50

अष्टम् चरण (छठम् अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-		-	-	-	3196.50

नवम् चरण (सप्तम् अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-		-	-	-	3196.50

दसवौं चरण (अष्टम् अनुरक्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-		-	-	-	3196.50


ग्यारहवौं चरण (नवम् अनुरक्षण)


1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-		-	-	-	3196.50



बारहवों चरण (दसम् अनुस्क्षण)

1	सिंचाई कार्य 6 बार	900	प्रति पौध	1.36	1224.00
2	निराई गुड़ाई 3 बार	450	प्रति पौध	1.35	607.50
3	वृक्षारोपण की सुरक्षा हेतु प्रहरी का पारिश्रमिक	5	प्रति दिन	213.00	1065.00
4	अन्य अकास्मिक व्यय	L.S.	L.S.	L.S.	300.00
योग :-		-	-	-	3196.50
कुल योग :-					108771.11
या :-					108771.00


क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवरिया रेंज


(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

